

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 04/10/2017

क्रमांक एफ 7-8/2008/20-3 :: राज्य-शासन एतद् द्वारा तीन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) नारायणपुर/बीजापुर/दुर्ग हेतु नियमित पद निर्माण संबंधी समसंख्यक आदेश दिनांक 15.06.2017 में निम्नानुसार संशोधन करता है :-

(1) आदेश में दी गई सारिणी के क. 02 के नीचे निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-


क.	पदनाम	ग्रेड वेतन एवं ग्रेड-पे	प्रति संस्था पद	पद संख्या
03.	सहा प्राध्यपक	15600-39100, ग्रेड.पे. - 5400	05	15

(2) सारिणी के क. 3 में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

04.	ब्याख्याता	9300-34800, ग्रेड.पे. - 4300	12	36
-----	------------	------------------------------	----	----

2/ सारिणी के कुल योग में प्रति संस्था पद 41 एवं पद संख्या 123 पढ़ा जाए। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी।

3/ उक्त संशोधन हेतु वित्त विभाग के कम्प्यूटर क. एफ-2017-20.01094/ब-3/चार, दिनांक 07.09.2017 द्वारा सहमति दी गई है।



छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(Signature)
(सुरेन्द्र सिंह बाघे)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

"2"

पृ. क्रमांक एफ 7-8/2008/20-3
प्रतिलिपि :

नया रायपुर, दिनांक 04/10/2017

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
 2. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
 3. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
 4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर,
 5. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर,
 6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
 7. आयुक्त, आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर,
 8. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर,
 9. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर,
 10. कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी - जिला-नारायणपुर, बीजापुर, दुर्ग,
 11. प्राचार्य, शिक्षा महाविद्यालय, बिलासपुर/रायपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. गार्ड फाईल ।

S. Singh

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन-नया रायपुर

// आदेश //


रायपुर, दिनांक 25/05/2015

क्रमांक एफ 7-8/2008/20-एक (तीन) राज्य शासन एतद 03 नवीन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) दुर्ग, नारायणपुर एवं बीजापुर में स्थापना का निर्णय लेते हुए निम्नानुसार नियमित पद निर्माण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

स. क्र.	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	पद संख्या
1	2	3	4	5
1.	प्राचार्य	15600-39100	6600	3
2.	उप प्राचार्य	15600-39100	5400	3
3.	सहायक प्राध्यापक	15600-39100	5400	15
4.	व्याख्याता	9300-34800	4300	36
5.	सहायक प्रोग्रामर	9300-34800	4300	3
6.	छात्रावास अधीक्षक	9300-34800	4200	3
7.	सहायक ग्रंथपाल	5200-20200	2800	3
8.	सहायक ग्रेड-01	5200-20200	2800	3
9.	शीघ्रलेखक ग्रेड-03	5200-20200	2800	3
10.	सहायक ग्रेड-02	5200-20200	2400	6
11.	सहायक शिक्षक विज्ञान	5200-20200	2400	6
12.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	5200-20200	2200	3
13.	सहायक ग्रेड-03	5200-20200	1900	18
14.	भृत्य (आकस्मिक निधि)	कलेक्टर दर	—	12
15.	चौकीदार (आकस्मिक निधि)	कलेक्टर दर	—	6
कुल योग				123

क्या
उप
पदों
को
राज्य
शासन
द्वारा
अनुमोदित
किया
जाए
गए

shakar.order




1/2/1

2/- उक्त पदों पर हान लाला व्यय भार विनाहित लेखन शीर्षक अंतर्गत नियुक्तनीय होगा :-

"उक्त मांग संख्या -27 स्कूल शिक्षा विभाग (01) प्राथमिक शिक्षा (107) शिक्षकों का प्रशिक्षण (0101) केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 1502 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए आयोजना के अंतर्गत विकलनीय होगा।"

2/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के f 2015-20-00369/B-3/चार दिनांक 10.04.2015 द्वारा शामिल किया गया है।


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(सुरेन्द्र सिंह बाघे)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक 25/05/2015

पृ0कमांक एफ 7-8/2008/20-एक(तीन)
प्रतिलिपि:-

- (1) सचिव, भारत सरकार, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन नई दिल्ली।
 - (2) निज सहायक, माननीय मंत्रीजी छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
 - (3) निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
 - (4) सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
 - (5) सचिव, छ0ग0 शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
 - (6) महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर,
 - (7) आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
 - (8) संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
 - (9) संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
 - (10) संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर।
 - (11) कलेक्टर जिला.....
 - (12) जिला शिक्षा अधिकारी.....
 - (13) संबंधित कोषालय अधिकारी.....
 - (14) प्राचार्य, शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर/रायपुर।
 - (15) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान.....
 - (16) प्राचार्य, बी.टी.आई.....
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

:: मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर

// आदेश //


नया रायपुर, दिनांक 15/06/2017

क्रमांक एफ 7-8/2008/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा तीन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) नारायणपुर/बीजापुर/दुर्ग हेतु निम्नानुसार नियमित पद निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है :-

क.	पदनाम	ग्रेड वेतन एवं ग्रेड-पे	प्रति संस्था पद	पद संख्या
01.	प्राचार्य	15,600-39,100, ग्रे.पे. - 6600	01	03
02.	उप प्राचार्य	15,600-39,100, ग्रे.पे. - 5400	01	03
03.	व्याख्याता	9300-34,800, ग्रे.पे. - 4300	15	45
04.	सहायक प्रोग्रामर	9300-34,800, ग्रे.पे. - 4200	01	03
05.	छात्रावास अधीक्षक	9300-34,800, ग्रे.पे. - 4200	01	03
06.	सहायक ग्रंथपाल	5200-20,200, ग्रे.पे. - 2800	01	03
07.	सहायक ग्रेड-एक	5200-20,200, ग्रे.पे. - 2800	01	03
08.	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	5200-20,200, ग्रे.पे. - 2800	01	03
09.	सहायक ग्रेड-दो	5200-20,200, ग्रे.पे. - 2400	02	06
10.	सहायक शिक्षक विज्ञान	5200-20,200, ग्रे.पे. - 2400	02	06
11.	सहायक ग्रेड-3	5200-20,200, ग्रे.पे. - 1900	07	21
12.	भूयः	व्यय-संयोजकता स्थापना	04	12
13.	चौकीदार	व्यय-संयोजकता स्थापना	02	06
कुल योग			39	117

2/ उपरोक्त व्यय मांग संख्या 27 स्कूल शिक्षा 2202 सामान्य शिक्षा 01 प्राथमिक शिक्षा 107 शिक्षकों का प्रशिक्षण 0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 1502 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए भद के अंतर्गत विकल्पनीय होगा ।

3/ उक्त स्वीकृति के सम्बंध में वित्त विभाग के एफ-2017-20.00952/ब-3/चार, दिनांक 24.05.2017 द्वारा सहमति दी गई है।



छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(Signature)

(सुरेन्द्र सिंह बाघे)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमशः2

पृ. क्रमांक एफ 7-8/2008/20-3
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 15/06/

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
 2. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
 3. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
 4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर,
 5. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर,
 6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
 7. आयुक्त, आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर,
 8. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर,
 9. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर,
 10. कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी - जिला-नारायणपुर, बीजापुर, दुर्ग,
 11. प्राचार्य, शिक्षा महाविद्यालय, बिलासपुर/रायपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. गार्ड फाईल ।

[Handwritten Signature]

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग